पत्रांक-2/सी0एम0टी0-38/2012परि0...2110/

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

सेवा में,

सभी पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक(यातायात), पटना
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी
सभी मोटर यान निरीक्षक
सभी प्रवर्तन निरीक्षक
सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक

पटना, दिनांक-25/5/2012

विषय:- वाहनों पर काले शीशा के उपयोग पर रोक लगाने के संबंध में ।

महाशय,

प्राय: ऐसा पाया जा रहा है कि कुछ वाहन स्वामियों द्वारा वाहनों के शीशे पर ब्लैक फिल्म का उपयोग किया जा रहा है । वाहनों के शीशे पर ब्लैक फिल्म का उपयोग होने से यातायात पुलिस को वाहनों के अंदर हो रही गतिविधियों का पता नहीं चल पाता है ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा WP(C)No.-265/2011 में दिनांक-27.4.2012 को पारित आदेश से वाहनों के शीशे पर ब्लैक फिल्म के उपयोग पर रोक लगा दी गयी है । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का operative part निम्न प्रकार से है:-

"The manufacturer of vehicle may manufacture the vehicles with tinted glasses which have Visual Light Transmission (VLT) of safety glasses windscreen (front and rear) as 70 per cent VLT and side glasses as 40 Per cent VLT, respectively. **No black film or any other material can be pasted on the windscreens and side glasses of a vehicle.**

For the reasons afore-stated, we prohibit the use of black films of any VLT percentage or any other material upon the safety glasses, windscreens (front and rear) and side glasses of all vehicles throughout the country. The Home Secretary, Director General/ Commissioner of Police of the respective States/ Centre shall ensure compliance with this direction. The directions contained in this Judgment shall become operative and enforceable with effect from 4th May, 2012."

3. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989के नियम 100 के अनुसार वाहनों के विन्ड स्क्रीन तथा खिडकियों के शीशे काले या रंगीन नहीं होने चाहिए अर्थात पारदर्शी होने चाहिए, जो निम्न प्रकार से है :-

Sanjay Sir-130

"केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 100(2) के अनुसार वाहनों के खिडकियों का शीशा (Side Windows) कम से कम 50 प्रतिशत तथा सामने का शीशा (Wind Screen) एवं पीछे के शीशा (Rear Windows) कम से कम 70 प्रतिशत पारदर्शी होने चाहिए ।"

4. अतः निदेश दिया जाता है कि माननीय उच्चत्तम न्यायालय का आदेश एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम (2) में निहित प्रावधानों का अनुपालन कठोरता से किया जाय । वाहनों पर लगे हुए काले फिल्म (Black Films) को हटाने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय । साथ ही उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 एवं 179 के तहत उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,

25/7/12

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग ।